UNITED BANK OF INDIA

Head Office : 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001
Tel : 033-22481054; Fax : 033-22485852, Email : co.sec@unitedbank.co.in

Board Sec/AGM/Notice/NSE/ 79 /2014 May 26, 2014

Sri. Hari K., Vice President
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot – C/1, Block – G
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400051

Scrip code: UNITEDBNK

Dear Sir,

Sub: Notice of the Annual General Meeting

We furnish herewith the Notice of the 5th Annual General Meeting of the Bank scheduled on June 18, 2014 at 10.00 A.M. at Kolkata being dispatched to shareholders of the Bank.

Kindly acknowledge.

Thanking you,

Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

Certified to be true copy
कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
For UNITED BANK OF INDIA
कंपनी सचिव / Company Secretary

पाँचवी वार्षिक आम सभा की सूचना

Notice for Fifth Annual General Meeting

बुधवार, 18 जून, 2014 पूर्वाह्न 10.00 बजे
Wednesday, June 18, 2014, 10.00 A.M.

सभा स्थल
at

भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडियर रोड
कोलकाता - 700 027
Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road,
Kolkata - 700 027

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
UNITED BANK OF INDIA
प्रधान कार्यालय: युनाइटेड टावर
HEAD OFFICE: UNITED TOWER
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700 001
11 HEMANTA BASU SARANI, KOLKATA - 700001

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 48 के अनुसार युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की पाँचवी वार्षिक आम सभा बुधवार दिनांक 18 जून, 2014 को पूर्वाह्न 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बुलबेडियर रोड, कोलकाता 700 001 में होगी जिसमें निम्नांकित विषय शामिल होंगे:

1. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के बैंक के तुलनपत्र, लाभहानि खाता के जरिए प्रदर्शित बैंक के कार्यपालकों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलनपत्र और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, उसका अनुमोदन और उसे अंगीकार करना ।

2. निम्नलिखित पर विचार करने और यदि उचित समझा गया, तो उसे संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन के एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाना:

संकल्प पारित किया गया कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार(जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि है और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी और इस संबंध में शर्तें तथा संशोधन जैसा कि अनुमोदन देते समय उनके द्वारा विहित है और जिसमें निदेशक मंडल की सहमति हो और शर्तों के अधीन अर्थात., सेवी (पूँजी जारी और अपेक्षित प्रकटीकरण) अधिनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियमन)/मार्गदर्शी, यदि भारतीय रिजर्व बैंक, सेवी, के द्वारा अधिसूचना/परिपत्र आदि बैंकिंग अधिनियम,1949, प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम,1992 और अन्य प्रयोज्य कानून अथावा समयसमय पर अन्य संगत प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए और स्टॉक एक्सचेंज के साथ की गई लिस्टिंग करार के शर्ताधीन, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीवद्ध हैं, एतद्द्वारा शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात इसे बोर्ड अभिहित किया जाएगा, जो कि बोर्ड द्वारा गठित किसी समिति अथवा इस संकल्प द्वारा प्राप्त अधिकार समेत उसके शक्ति प्रयोग करने के लिए गठित समिति) जो आवंटन, प्रस्ताव,और जारी करने (फर्म आवंटन के मुद्दे पर आरक्षण के लिए प्रावधान समेत और/अथवा ऐसे भाग के प्रतियोगी के आधार पर और फिर लागू कानून द्वारा व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए अनुमति दी जा सकती है) एक प्रस्ताव अभिलेख/प्रोसपैक्ट अथवा ऐसा अन्य दस्तावेज, भारत अथवा विदेश में प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर और प्रीमियम समेत एक हजार करोड़ रुपये से अधिक न हो, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के भाग 3(2ए) के अनुसार बैंक की अधीकृत पूँजी की उच्चतम सीमा रुपये 3000 करोड़ के बैंक की कुल प्राधिकृत निधि में से रूपए 554.75 करोड़ की मौजूदा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के साथ अथवा संशोधन के अनुसार अधीकृत वर्धित पूँजी (यदि है), जिसे भविष्य में अधिनियम में इस प्रकार शामिल किया जा सकता है कि केंद्र सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूँजी का 51% के नीचे धारण नहीं करेंगे, चाहे बट्टाकृत अथवा अथवा बाजार दर के प्रीमियम, एक अथवा अधिक शृंखला में सदस्यों में से एक या अधिक सदस्य व बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), कंपनियों, व्यक्तिगत व सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियाँ, न्यास, खोज संस्थान, योग्यताप्राप्त संस्थागत खरीददार (क्यूआईबी) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, भारतीय पारस्परिक निधि, वेंचर पूँजी निधि, विदेशी वेंचर पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य संस्थाओं, प्राधिकारी अथवा किसी अन्य वर्ग के निवेशक मौजूदा विनियम/मार्गदर्शी के अनुसार अथवा उपर्युक्त में से कोई भी समूह जो इक्विटी/अधिमान्य शेयर/बैंक के प्रतिभूतियों में, बैंक जैसा कि उचित समझे, निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं ।

पुन: संकल्प पारित किया गया कि इस इश्यू, प्रस्ताव या आवंटन को पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, या ऐसा कोई अन्य इश्यू द्वारा किया जाएगा जिसका अधिक आवंटन विकल्प सहित या वगैर, इस तरह के प्रस्ताव मुद्दे, प्लेसमेंट और आवंटन, लागू कानूनों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ जारी करना) विनियम, 2009 आईसीडीआर विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दिशा निर्देशों, सेबी और किसी अन्य प्राधिकारी के प्रावधानों के तहत जो कि इस तरह के अन्य मुद्दे के माध्यम से और ऐसे समय और इस प्रकार और ऐसे शर्तें, जो बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक द्वारा उचित समझा जाए लागू किया जा सकता है ।

पुन: संकल्प पारित किया गया कि उपर्युक्त मामले में, बोर्ड इस तरह के तरीके से ऐसे मूल्य या कीमतों पर और जहां आवश्यक लीड मैनेजर और/या हामीदार और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से आईसीडीआर विनियम, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के मामले में यह फैसला करेगा कि प्रस्तावित निवेशक बैंक के मौजूदा शेयरधारक हैं अथवा नहीं।

पुन: संकल्प पारित किया गया कि प्रासंगिक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुई लिस्टिंग करार के प्रावधानुसार, बैंकिंग कंपनियों के प्रावधानों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों,

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर एक निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण या जारी) विनियम, 2000, और प्रावधानों के अपेक्षित अनुमोदन के अधीन, सहमति, अनुमति और/या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की मंजूरी, स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और अन्य सभी प्राधिकारियों जैसा कि अपेक्षित है (बाद में सामूहिक रूप से उपयुक्त प्राधिकारी कहा गया है) और उनमें से किसी के द्वारा भी निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (बाद में) अपेक्षित अनुमोदन के रूप में संदर्भित) करते समय बोर्ड अपने पूर्ण विवेक, मुद्दे, प्रस्ताव और आवंटन के लिए सम्यसमय पर एक या एक से अधिक चरणों में वारंटों को छोड़कर इक्विटी शेयर या किसी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य किसी भी प्रतिभूतियों में समय समय पर एक बाद की तारीख में परिवर्तनीय या इक्विटी शेयरों के साथ विनिमय कर सकता है, इस तरह की किसी भी समय केन्द्र सरकार क्यूआईबी (आईसीडीआर विनियम में के अध्याय आठवीं में परिभाषित मानती है) के लिए योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के तहत, जैसा कि आईसीडीआर विनियमन के अध्याय viii बैंक की इक्विटी पूंजी का कम से कम 51% धारण कर सकता है, दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखन/ परिपत्रों/ज्ञापन और ऐसी रीति से और ऐसी कीमत पर, नियमों और शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है आईसीडीआर विनियम या कानून के अन्य प्रावधानों के तहत जारी इक्विटी शेयर के प्रीमियम समेत उसकी निर्धारित दर आईसीडीआर विनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कम नहीं होगी ।

पुन: संकल्प पारित किया गया कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय आठवीं के अनुसार, एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट की प्रतिभूति के आवंटन के लिए, क्यूआईबी के तहत आईसीडीआर विनियम के अध्याय आठवीं के अर्थ के भीतर, ऐसी प्रतिभूति पूरी तरह से चुकता किया जाएगा और इस तरह के प्रतिभूतियों के आवंटन के इस संकल्प की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा ।

पुन: संकल्प पारित किया गया कि क्यूआईपी इश्यू के मामले में प्रतिभूतियों की अंकित कीमत के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तारीख आईसीडीआर नियमों के अनुसार किया जाएगा।

पुन: संकल्प पारित किया गया कि सेबी आईसीडीआर विनिमय के विनियमन 85(1) के प्रावधान के अनुसार में क्यूआईपी इश्यू के मामले में उपर्युक्त न्यूनतम नियत दर पर 5 प्रतिशत तक बट्टे में शेयरों का प्रस्ताव करने के लिए बैंक को एतद्द्वारा अधिकृत किया गया।

पुन: संकल्प पारित किया गया कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/बोर्ड या भारत सरकार/बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों अथवा लिस्टिंग के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी और बोर्ड द्वारा सहमत, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, द्वारा लगाए गए अथवा अपेक्षित प्रस्ताव में संशोधन की स्वीकृति हेतु बोर्ड प्राधिकार होगा।

पुन: संकल्प पारित किया गया कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों, और या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन नए इक्विटी शेयर/अधिमान्य शेयर, यदि है, के आवंटन के लिए समग्र सीमा के भीतर इस अधिनियम के तहत प्रयोज्य होगा।

पुन: संकल्प पारित किया गया कि जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 नियमों के अधीन आगे संशोधन और लाभांश सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी मामले समस्त में रैंक जाएगा, ऐसी घोषणा के समय वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई हो, किया जाएगा।

पुन: संकल्प पारित किया गया कि इसके अलावा इक्विटी शेयरों / तरजीही शेयरों / प्रतिभूतियों के किसी भी मुद्दे या आवंटन को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, बोर्ड, इसके द्वारा निवेशकों के वर्ग सहित सार्वजनिक पेशकश के संदर्भ निर्धारित करने के लिए अधिकृत है जिसे प्रतिभूतियों शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या अपने पूर्ण विवेक में बोर्ड के रूप में इस मुद्दे पर प्रत्येक किश्त , निर्गम मूल्य, प्रीमियम राशि में आवंटित किया जाना है, बोर्ड जैसे उचित समझे आवंटित कर सकता है और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामलों और बातें और इस तरह के कार्य को अंजाम दे सकता है साथ ही सभी दस्तावेजों और समझौतों, अपने पूर्ण विवेक में, आवश्यक, उचित या वांछनीय समझे, या कोई प्रश्न, समस्या अथवा सार्वजनिक पेशकश, मुद्दे, आवंटन के संबंध में उत्पन्न हो सकता है जिसके समाधान के लिए निर्देश या निर्देश देने के लिए के रूप में यह अपने पूर्ण विवेक में, सर्वोत्तम हित में जो उचित समझे, इस मुद्दे के उपयोग और स्वीकार करने के लिए और इस तरह के संशोधन, परिवर्तन, बदलाव, कटौती के रूप में परिवर्धन या प्रभाव देने के लिए, नियम और शर्तों के संबंध में बैंक के सदस्यों की किसी भी आगे की मंजूरी की आवश्यकता के बिना बोर्ड को प्रदत्त किसी या सभी शक्तियों को बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जा सकता है.

पुन: संकल्प पारित किया गया कि बोर्ड एतद्द्वारा किसी भी लीड मैनेजर, बैंकर, हामीदार, डिपॉजिटरी के साथ ऐसे सभी व्यवस्थाओं पर अमल, प्रवेश करने के लिए अधिकृत है और ऐसे सभी एजेंसियों, किसी भी इक्विटी/तरजीही शेयरों/ प्रतिभूतियों की इस तरह की पेशकश में संबंधित हो सकता है और कमीशन, दलाली, फीस या इस प्रकार अन्य में प्रवेश और ऐसे सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापन, दस्तावेजों, आदि पर अमल कर सकता है, और उक्त एजेंसियों के साथ कार्य निष्पादन, करार, ज्ञापन, दस्तावेज करते हुए ऐसे सभी संस्थानों और एजेंसियों पारिश्रमिक का भुगतान कर सकता है ।

पुनः संकल्प पारित किया गया कि उपर्युक्त को प्रभाव देने के उद्देश्य से लीड मैनेजर्स, हामीदार, सलाहकार और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श से बोर्ड एतद्द्वारा इश्यू की शर्तों का निर्धारण समेत निवेशकों के वर्ग जिसे शेयर/प्रतिभूति का आवंटन किया जाना है, प्रत्येक समूह में आवंटित शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, इश्यू कीमत(प्रीमियम समेत, यदि है), अंकित मूल्य इश्यू पर प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों का परिवर्तन/वारंट का प्रयोग प्रतिभूतियों का विमोचन, ब्याज दर, विमोचन अवधि, स्थांतरण या मोचन या, मूल्य, प्रीमियम या इश्यू पर छूट/प्रतिभूतियों के रद्द होने पर इक्विटी शेयर/तरजीही शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या का स्थांतरण, ब्याज दर, स्थांतरण की अवधि, भारत या विदेश के एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग, ब्याज दर, स्थांतरण की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या खाता बंद करने और संबंधित या आकस्मिक मामलों, जैसा कि बोर्ड उचित समझे कार्य कर सकता है।

पुनः संकल्प पारित किया गया कि ऐसे शेयर/प्रतिभूतियाँ जिसे अभिदत्त नहीं हुआ, बोर्ड द्वारा जैसे उचित समझे और कानून के साथ अनुमत, पूर्ण विवेक से उसे निपटाया जा सकता है।

पुनः संकल्प पारित किया गया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए, बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में, आवश्यक उचित और वांछनीय समझे एतद्द्वारा सभी कार्य, कर्म, मामलों और बातें, जैसे उचित समझे और इसके संबंध में उत्पन्न प्रश्न, कठिनाई या संदेह और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामलों और बातें, अंतिम रूप देना और आवश्यक वांछनीय हो सकता है, अपने पूर्ण विवेक में सभी दस्तावेजों और लेखन को निष्पादित करने के लिए कार्य करेगा, शेयरधारकों से इसके लिए आगे कोई सहमति या मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, अथवा इसके लिए शेयरधारकों द्वारा वहां स्पष्ट रूप से अपनी मंजूरी दे दी है समझा जाएगा।

पुनः संकल्प पारित किया गया कि बोर्ड इसके द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के साथसाथ कार्यपालक निदेशक को प्रदत्त सभी या किसी भी शक्तियों के प्रयोग या पूर्वोक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए अधिकृत है ।

3. निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में संशोधन सहित या बगैर समझा जाना या विचार करते हुए पारित किया जाना :

संकल्प पारित किया गया कि समय समय पर संशोधित (विनियमन) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) और राष्ट्रीयकृत बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि है और इस संबंध में शर्तें तथा संशोधन जैसा कि अनुमोदन देते समय उनके द्वारा विहित है और जिसमें निदेशक मंडल की सहमति हो और शर्तों के अधीन सेबी (पूँजी जारी और अपेक्षित प्रकटीकरण) अधिनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन)और समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विहित विनियमन और स्टॉक एक्सचेंज के साथ की गई लिस्टिंग करार के शर्तांधीन जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं एतद्वारा शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात इसे बोर्ड अभिहित किया जाएगा, जो कि बोर्ड द्वारा गठित किसी समिति अथवा इस संकल्प द्वारा प्राप्त अधिकार समेत उसके शक्ति प्रयोग करने के लिए गठित समिति) जो सृजन, प्रस्ताव, जारी और आवंटन कर सकता है

(क) सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय vii के विनियमन 76(1) के तहत निर्धारित रू 25.50 के प्रीमियम सहित रू 35.50 के प्रति शेयर भारतीय जीवन बीमा एवं/उनकी किसी प्रकार की संबंधित निधि प्रत्येक रू 10 के 8,45,07,042 (आठ करोड़ पैंतालीस लाख सात हजार बयालीस) तक इक्विटी शेयर अधिमान्य आधार पर कुल रू 299,99,99,991.00 (रूपये दो सौ निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र)

(ख) सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 76(1) के अनुसार निर्धारित रू 25.50 के प्रीमियम सहित रू 35.50 के रूपांतरण दर में 7,74,00,000.00 (सात करोड़ चौहत्तर लाख) के रू10/- के इक्विटी शेयर और आज की तारीख तक बकाया पीएनसीपीएस में से अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को रूपांतरण द्वारा रू 274,77,00,000/- (रुपये दो सौ चौहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) के 27477 (सताईस हजार चौर सौ सतहत्तर) बेमियादी गैर संचयी अधिमान्य शेयर (पीएनसीपीएस) कुल रू 100,000/- (रूपए एक लाख मात्र)।

पुनः संकल्प पारित किया गया कि अधिमान्य इश्यू दर के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तिथि 19 मई, 2014 है.

पुनः संकल्प पारित किया गया कि बोर्ड को मूल्य निर्धारण सहित प्रस्ताव में कोई आशोधन, जैसा भी अपेक्षित है या भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, या अन्य प्राधिकरणों द्वारा शेयरों के निर्गम और सूचीकरण को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति, देते समय किए गए आशोधन, जिनको बोर्ड की सहमति प्राप्त हो, को स्वीकार करने का प्राधिकार या अधिकार है ।

पुनः संकल्प पारित किया गया कि जारी किए जाने वाले उपर्युक्त इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान समरूप के वर्ग में होंगे और किसी प्रकार के लाभांश की घोषणा के समय सांविधिक दिशानिर्देश के अनुसरण में उसके लिए हकदार भी होंगे।

पुनः संकल्प पारित किया गया कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड उन सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को करने के लिए प्राधिकृत है जो उसके स्वविवेक के अनुसार आवश्यक , उपयुक्त एवं वांछनीय समझे जाएंगे, वह किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह , जो इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, को दूर करने के लिए भी प्राधिकृत है और इसके अलावा, वह सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को करने और सभी प्रलेखों एवं लिखित पत्रों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है जो आवश्यक , वांछनीय या उचित हो और जो उसके विवेकानुसार उपयुक्त या वांछनीय हो और जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति या स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं , या यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा व्यक्त तत्संबंधी अपनी सहमति प्रदान कर दी है अथवा यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा व्यक्त अपनी सहमति प्रदान कर दी है ।

पुनः संकल्प पारित किया गया कि उपरोक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड एतदद्वारा अपनी समस्त या किसी एक शक्ति को बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक/निदेशकों या अन्य अधिकारियों, जैसा भी उचित समझा जाए को प्रत्यायोजित करने का भी प्राधिकार होगा ।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

ह/.
बिक्रमजीत सोम
(कंपनी सचिव)

19 मई, 2014
स्थान : कोलकाता

टिप्पण:

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया(शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62 के अनुसार एक शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है एवं ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया(शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62(II) के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के पास पहुंच जाना चाहिए । प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, हेमन्त बसु सरणी, चौथा तल, कोलकाता 700001 में 13 जून 2014 शुक्रवार को कारोबार समय की समाप्ति से पहले तक अवश्य प्राप्त होना चाहिए ।

तथापि उस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा

बैंक के पास जमा किया गया प्रतिनिधिप्रपत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा ।

यदि प्रतिनिधिप्रपत्र वैकल्पिक रुप से दो अनुदानग्राहियों के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म तैयार किया जाएगा ।

प्रतिनिधि के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रुप में वोट देने का हक नहीं होगा जो उसे लिखत से संबंधित है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त नहीं हो सकेगा ।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया(शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 61 के अनुसार यथास्थिति केंन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक संकल्प द्वारा अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उसी अधिकारी का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है, मानों वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो ।

उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रुप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में कार्य कर सकता है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया(शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 61(II) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कंपनी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में तब तक भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्ति के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करके बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700 001 में शुक्रवार, 13 जून 2014 को कारोबार अवधि की समाप्ति अथवा उससे चार दिन पहले जमा न की गई हो ।

3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र

शेयर धारकों की सुविधा हेतु वार्षिक रिपोर्ट में उपस्थित पर्चीसहप्रवेश पत्र संलग्न है। शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौप दें । शेयर धारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थितिसहप्रवेश पत्र पर प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए ।

4. शेयरधारकों का रजिस्टर बंद होना

स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 16 एवं युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया(शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 12 के प्रावधानों के अनुसरण में बुधवार, 11 जून, 2014 से बुधवार, 18 जून, 2014 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बैंक के शेयर धारकों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही लाभांश के उद्देश्य से बंद रहेंगे ।

5. शेयरधारकों से अनुरोध

5 .1. तुलन पत्र की प्रतियां

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल पर वितरित नहीं की जाएगी और इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ ले जाएं ।

5 .2. शेयरों का अमूर्तीकरण
जो शेयरधारक प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारण करते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा लें ।

5 .3. खातों पर सूचना
जो शेयरधारक खाते के संबंध में जानकारी / स्पष्टीकरण की मांग करते हैं, उनसे अनुरोध है कि वार्षिक आम बैठक से कम से कम चार दिन पहले बैंक को लिखें ताकि बैंक जानकारी तैयार रखने के लिए सक्षम हो सके ।

5 .4. फोलियो का समेकन
जो शेयरधारक नामों की इसी क्रम में संयुक्त नाम के समान नामों में कई फोलियो का प्रत्यक्ष रूप में शेयरों का धारण करते हैं उनसे अनुरोध है कि अपना शेयर प्रमाणपत्र बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.को एक ही फोलियो में समेकन के लिए भेजें ।

5 .5. पता परिवर्तन की अधिसूचना
शेयरधारकों से अनुरोध है कि उनके पते या बैंक खाते के विवरण में कोई बदलाव है तो निम्न को सूचित करें

क. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागियों;

ख. शेयर प्रत्यक्ष रूप में होने के संबंध में रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड के निम्न पते पर दें:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
यूनिट: यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया),
59सी, चौरंगी रोड
तीसरा तल, कोलकाता 700020

5 .6. स्थिति में परिवर्तन का अभिलेख
अनिवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड को निम्न विषय में परिवर्तन होने पर तत्काल सूचित करें

क. स्थायी रूप से रहने के लिए भारत लौटने पर उनकी आवासीय स्थिति.

ख. पहले प्रस्तुत नहीं किया है तो, भारत में बैंक खाता का ब्योरा सहित पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, पिन के साथ बैंक का पता

5 .7. जो शेयरधारक अपने लाभांश वारंट नहीं भुनाया है अथवा यदि कोई पिछली अवधि के लाभांश प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि डुप्लिकेट वारंट जारी करने के लिए शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें ।

6. डीमेट फार्म में बैंक के शेयरों का अनिवार्य कारोबार

हमारे बैंक के शेयरों का आवंटन और शेयर बाजारों में केवल डीमेट फॉर्म में अनिवार्यतः व्यापार किया जा रहा है

बैंक ने शेयरों की डीमेट फॉर्म के लिए एक प्रदाता कंपनी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक समझौता किया है ।
डीमेट के लिए अनुरोध से संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा . लिमिटेड को भेजी जा सकती है ।

7. लावारिस शेयर

लावारिस शेयरों का विवरण इस प्रकार है :

1 01 अप्रैल, 2013 तक लावारिस/बकाया शेयर	7107
2 31 मार्च, 2014 तक लाभार्थी को हस्तांतरित शेयर	400
3 31 मार्च, 2014 तक लावारिस / बकाया शेयर	6707

सही मालिक के दावा करने तक, लावारिस / बकाया शेयरों के मतदान के अधिकार निश्चल रहेंगे.

8. शेयरधारकों के पूछताछ

यदि शेयरधारक अपने किसी भी प्रश्न को पर्याप्त समय रहते भेज दें तो बैंक को इसका प्रभावी उत्तर देने में सुविधा होगी. पूछताछ निम्नलिखित पते पर की जा सकती है

प्रबंधक,
शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
प्रधान कार्यालय,
11, हेमंत बसु सरणी,
कोलकाता 700001
ईमेल : **investors@unitedbank.co.in**

9. मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2 ई) के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई शेयरधारक बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक के अपने किसी भी शेयर के संबंध में मत देने का हकदार नहीं होगा.

10. ई मतदान

बैंक की 5वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के अनुसार बैंक ने पहली बार अपने सभी शेयरधारकों के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए सूचीबद्धता करार के खण्ड 35बी के अनुसार ई मतदान की सुविधा प्रदान की है. बैंक ने श्री एस.एन. अनंतसुब्रामनियम, सेवारत कंपनी सचिव या उनके अभाव में सुश्री मालती कुमार, सेवारत कंपनी सचिव या उनके अभाव में सुश्री अपर्णा गाडगिल, सेवारत कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त किया है. ई मतदान वैकल्पिक है. शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों के ई वोटिंग अधिकार 16 मई 2014 को उनके पास रखे गए इक्विटी शेयरों के हिसाब से गिना जाएगा. ई मतदान के लिए निर्देश निम्नलिखित हैं:

इलेक्ट्रॉनिक रुप से मतदान करने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं :

(क) ई-मेल प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में :

i. यदि आप डीमैट रूप में शेयर धारण करते हैं और www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया था और इससे पहले किसी भी कंपनी की EVSN के लिए अपना मतदान किया, तो अपने मौजूदा लॉग-इन-आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जाना जरूरी है।

ii. ई वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।

iii. अपना मतदान करने के लिए शेयरधारकों टैब पर क्लिक करें।

iv. ड्रॉप डाउन मेनू से अब **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया** के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुक्रम संख्या-**140520002** सिलैक्ट करें और सबमिट पर क्लिक करें।

v. अब, समुचित बक्सों में निम्नलिखित विवरण भरें।

	डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए	भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
यूजर आईडी	एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर डीपी आईडी जिसमें 8 डिजिट का क्लाईंट आईडी अनुसरण करेगा सीडीएसएल के लिए: 16 डिजिट का लाभार्थी आईडी	कंपनी में पंजीकृत फोलियो नम्बर
पैन *	सिस्टम में ई मतदान करते समय आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक * पैन की प्रविष्टि करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ भौतिक रूप में शेयरधारकों दोनों के लिए लागू)	
जन्म तिथि #	आपके डीमैट खाते में किए गए रेकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए कंपनी रोकॉर्ड के अनुसार जन्म तिथि या फोलियो संख्या दिन/माह/वर्ष की प्रविष्टि करें।	

जो सदस्य बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे पैन क्षेत्र में डिफ़ॉल्ट नंबर **यूबीआई ईवी 1234Z** का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी के साथ डीओबी रेकॉर्ड न होने के मामले में, कृपया डीओबी कॉलम में मूल्य **16/05/2014** की प्रविष्टि करें।

vi. उचित रूप से इन ब्योरों को भरने के बाद सबमिट टैब पर क्लिक करें।

vii इसके बाद, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ईभीएसएन चयनित स्क्रीन पर सीधे पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब पासवर्ड क्रियेसन मेनू तक पहुंच जाएंगे जिसमें उन्हें अनिवार्य रूप में नया पासवर्ड क्षेत्र में अपने लॉगिन पासवर्ड बदलता आवश्यक होगा। नया पासवर्ड कम से कम आठ वर्ण का होगा, जो कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (09) और एक स्पेशल करेक्टर (@ # $ % &) से बना होगा, कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड से डीमैट धारक मतदान करने के पात्र हैं जिस पर किसी अन्य कंपनी का संकल्प (ओं) के लिए मतदान के लिए प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई वोटिंग के विकल्प प्रदान करता हो। यह दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड की हिस्सेदारी नहीं करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत देखभाल करें। कृपया ध्यान दें कि यह परिवर्तित पासवर्ड डीमैट धारकों द्वारा भी कंपनी के संकल्प के लिए या किसी अन्य कंपनी जिसपर वे मतदान करने के पात्र हैं, प्रयोग किए जाएंगे, बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई वोटिंग के विकल्प प्रदान करती हो।

viii. संबंधित ईभीएसएन जिसपर आपने मतदान के लिए चयन किया है, पर क्लिक करें।

ix. मतदान पृष्ठ पर, आप संकल्प विवरण और उसके ही सामने हाँ / नहीं का विकल्प देखेंगे। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं का विकल्प चुनें। 'हाँ' का विकल्प, संकल्प में आपकी सहमति को दर्शाता है और 'नहीं' से तात्पर्य है कि आप संकल्प से असहमत हैं।

x. यदि आप पूरे संकल्प को देखना चाहते हैं, तो रिजोल्यूशन फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें।

xi. रिजोल्यूशन चयन करने के बाद आपने मतदान करने का फैसला कर लिया है और अब सबमिट पर क्लिक करें। एक संपुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो ओके पर किल्क करें या अपना वोट बदलने के लिए कैंसेल पर क्लिक कर आप अपना वोट संशोधित कर सकते हैं।

xi. एक बार रिजोल्यूशन पर अपने मत की पुष्टि करने के बाद आप को अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) सदस्यों को एजीएम सूचना की भौतिक प्रतिलिपि प्राप्त होने के मामले में: [सदस्यों जिनका ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिट पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं है या भौतिक प्रतिलिपि हेतु अनुरोध किया हो]

(ग) मतदान के लिए उपरोक्त सभी क्रमांक (2) से क्रमांक 12 में उल्लिखित सभी चरणों का पालन करें।

(घ) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) https://www.evotingindia.co.in पर लॉग ऑन करना जरूरी है और खुद को रजिस्टर करें, जिसमें मतदान करना चाहते हैं उसमें खाता को लिंक करें और फिर मतदान करें। वोट सत्यापित करने के लिए वे प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक हेतु बोर्ड संकल्प की स्कैन प्रतिलिपि को अपलोड करें।

(ङ) मतदान की अवधि 12 जून 2014 को प्रात: 10.00 बजे आरम्भ हो कर 14 जून 2014 को अपराह्न 1.45 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कम्पनी के शेयरधारकों, शेयर भौतिक रूप में या डीमैट फॉर्म में रखें हो जिसका जो कट ऑफ तारीख 16 मई 2014 तक है, वे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने वोट डाल सकते हैं। ई वोटिंग मॉड्यूल उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा रिजोल्यूशन पर अपना मत दे देते हैं तो फिर उन्हें इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(च) यदि आप का ई वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या मुद्दें हैं, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू) को देखें और सहायता अनुभाग के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का अनुसरण करें या ईमेल helpdesk.evoting@cdsl.india.com को लिखें।

11. बैठक में मतदान

सभी कार्यसूची के मदों के बारे में चर्चा होने के बाद, अध्यक्ष महोदय सभी मदों के लिए मतदान के लिए आदेश देंगे। इस उद्देश्य के लिए, बैंक द्वारा नियुक्त जांचकर्ता द्वारा मतदान का परिचालन और पर्यवेक्षण किया जाएगा। मतदान के निष्कर्ष के बाद, अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्त होने की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद मतदान के परिणाम समेत ई-मतदान के परिणाम का पूर्णयोग बैंक द्वारा अपने वेबसाइट में घोषित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी दो दिन के भीतर सूचित कर दिया जाएगा।

12. मद संख्या 2 और 3 से संबंधित वास्तविक तथ्यों प्रदर्शित करने हेतु व्याख्यात्मक विवरण

क) बैंक, बैंकिंग और संबंधित गतिविधियों के कारोबार में है. वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी 3000 करोड़ रुपये की है. 31 मार्च 2014 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 554 .7 5 करोड़ रुपये का था.

ख) केन्द्र सरकार ने दिसम्बर 2013 के महीने में इक्विटी की तरजीही आवंटन के माध्यम से 700 करोड़ रुपए की राशि संचार किया. बाद के आवंटन के चलते, बैंक की कुल चुकता इक्विटी पूंजी 554.75 करोड़ रुपए के हो गई है इसमें से भारत सरकार के 488.17 करोड़ रुपए है, जो बैंक की कुल चुकता पूंजी के 87.998% है.

ग) 2013-14 में, बैंक के अग्रिमों में -2.48% की वृद्धि, जमा में 10.79 की वृद्धि और कुल कारोबार में 5.36 की वृद्धि की रिपोर्ट दी गई है. सभी तिमाहियों में परिचालन लाभ कमाने के बावजूद, अधिक प्रावधान आवश्यकताओं के कारण दिसंबर 2013 तक बैंक को 1683 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दिखाया गया है. एनपीए में जबरदस्त वसूली के चलते, बैंक ने 2013-14 की चौथी तिमाही में 469.37 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है. कुल मिलाकर बैंक की पूंजी पर्याप्तता के अनुपात बढ़कर 9.81 और बासेल-III मानदंड के तहत टीयर-I बढ़कर 6.54 हो गया है.

घ) बैंक ने अन्य बातों के साथ व्यापक वसूली और एनपीए की कमी, निगरानी को मजबूत बनाने, अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो का पुनर्गठन, सभी स्तरों पर लागत नियंत्रण आदि के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है.

ङ) हमारे बैंक में भारत सरकार की वर्तमान हिस्सेदारी ₹48 .81 करोड़ की है .यह बैंक की कुल चुकता पूंजी का 87.998% है. बासेल-III के अनुसार, 31 मार्च 2014 को पूंजी निधि के जोखिम भारित आस्तियां निम्नलिखित थी .

बासेल-III मानदंडों के तहत

विवरण (31.03.14 को)	राशि रुपये करोड़ में	पूंजी निधि का % जोखिम भारित आस्तियों के लिए
जोखिम भारित आस्तियां	61007	
टियर पूंजी	3987	6.54%
टियर पूंजी	1994	3.27%
कुल पूंजी	5981	9.81%

च) 31 मार्च 2014 को बासेल-II के अंतर्गत बैंक की पूंजी 6882 करोड़ रुपये और सीआरएआर @ 11.46 (टियर 1@ 7.26%) बासेल-II मानदण्डों के तहत).

छ) 31 मार्च 2014 को बासेल-III मानदंड के तहत, बैंक की पूंजी 5981 करोड़ रुपये और सीआरएआर 9.81 (टियर I @ 6.54% और सीईटी-1 6.54%).

ज) 31 मार्च 2015 को, बैंक ने (9% की न्यूनतम आवश्यकता के खिलाफ) सीआरएआर का लक्ष्य 10% रखा है.

झ) बेसल-III के नियमों के तहत, 31 मार्च 2015 को, बैंक की पूंजी की स्थिति 5380 करोड़ रुपए होने का अनुमान है. 2014-15 के दौरान (आंतरिक उत्पादन से) बिना किसी पूँजी संचार के.

ञ) 2014-15 में अनुमानित व्यापार के विकास के लिए, बैंक को 6930 करोड़ रुपये पूंजी की आवश्यकता होगी, अर्थात बासेल-III मानदंड के तहत 10% सीआरएआर बनाए रखने के लिए 1550 करोड़ रूपये के अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी.

ट) इस अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता आंतरिक उत्पादन, इक्विटी के जारी करने और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अधीन बासेल-II के अनुरूप ऋण लिखत का संयोजन से पूरा किया जा सकता है.

ठ) बेसल के मानदंडो के तहत न्यूनतम विनियामक पूंजी की आवश्यकता 9% है.

ड) लक्षित व्यापार के विकास और विस्तार को प्राप्त करने के लिए और बैंक समर्थक सार्वजनिक पेशकश पालन करने तथा सामान्य उधार प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त पूंजी कोष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बैंक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट, तरजीही आवंटन के माध्यम से धन जुटाने, पी एन सी पी एस या ऐसे अन्य उपयुक्त साधन के रूपांतरण द्वारा इक्विटी के तरजीही आवंटन सहित 10/ रुपए के इक्विटी शेयर जारी करके अवश्यकता पूरा कर जा सकता है.

क. योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से उपरोक्त इक्विटी शेयर जारी करने की स्थिति में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि :

i) इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक तारीख, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्याय आठवीं (कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जारी करना) विनियम, 2009 के अनुसार (सेबी आई सी डी आर विनियम) संशोधन, और/या अन्य लागू नियमों, बोर्ड या विधिवत अधिकृत समिति तत्संबंधी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 के संदर्भ में सदस्यों के अनुमोदन की रसीद (1 ए) के बाद और अन्य इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित मुद्दे को खोलने का फैसला करता है, जिसमें बैठक की तारीख लागू होने वाले प्रावधानों, अधिनियम के किसी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित मुद्दे के संबंध में दिशा निर्देश है;

ii) चूंकी अगले चरण को छोड़कर प्रस्ताव की कीमत निश्चित नहीं की जा सकती, जारी किए जाने वाले शेयरों का मूल्य बतलाना संभव नहीं है । फिर भी, इसे समय समय पर संशोधित किए गए आईसीडीआर विनियम, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के प्रावधानों अथवा प्रयोज्य या अपेक्षित कोई अन्य दिशानिर्देश/ विनियमों/ सहमति के अनुसार तय किया जाएगा ।

iii) प्रतिभूति के आवंटन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायरस (क्यूआईबीएस) सेवा, (आईसीडीआर) के नियमों के तहत होगा और ऐसे प्रतिभूति का पूर्ण भुगतान आवंटन पर होगा । जो इस संकल्प के पारित होने के 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

iv) प्रस्ताव की विस्तृत शर्तें सलाहकार, लीड मैनेजर और हामीदार और ऐसे प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के परामर्श से, मौजूदा बाजार व्यवस्था तथा अन्य नियामक अपेक्षाओं पर विचार करते हुए तय की जाएगी।

v) कुल जुटाई गई राशि अधिक आवंटन सहित प्रतिभूति जारी करने के शर्तों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरिक्षित तुलनपत्र के अनुसार बैंक के निवल मूल्य का 5 गुना से अधिक नहीं होगा।

vi) आवंटित किए गए इक्विटी शेयरों को लाभांश सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी मामलों में समरूप स्थान दिया जाए ।

ख) जैसा कि कार्यसूची की मद संख्या 4 में दर्शाया गया है पीएनसीपीएस के रुपांतरण के माध्यम से अधिमानी आवंटन के जरिए जारी किए गए इक्विटी शेयरों के संबंध में:

i) बैंक द्वारा अपनाए गए अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त, इक्विटी शेयरों में बैंक द्वारा भारत सरकार को जारी किए गए रु 800 करोड़ के सतत गैरसंचयी अधिमानी शेयरों (पीएनसीपीएस) के एक भाग को रुपांतरित करने आवश्यकता महसूस की जा रही है। बैंक द्वारा जारी की गई पीएनसीपीएस बेसल-III के मानदंडों की पुष्टि नहीं कर रहे, फलस्वरुप दायित्व को चरणबद्ध तरीके से 10 वर्षों अवधि में पूरा किया जाए। पीएनसीपीएस का इक्विटी में अंतरण बैंक को प्रमोटरों द्वारा कोई अन्य पूंजी लगाए बिना, 31 मार्च, 2014 तक 5.5% के सामान्य इक्विटी के पूर्वनिर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होने की आशा है ।

ii) अधिमानी आवंटन सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय-VII के अनुसार किया जाए ।

iii) वर्तमान में, भारत सरकार बैंक में 87.998% पूंजी धारण किए हुए है, प्रतिभूति करार विनियम अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकता को भंग नहीं करते हुए बैंक भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के 11 करोड़ तक आवंटित करने का हकदार है ।

iv) वर्तमान में एलआईसीआई, बैंक के कुल चुकता पूंजी का 17221031 या 3.10% धारित किए हुए है ।

v) भारत सरकार और एलआईसीआई दोनों के समग्र निर्गम पूर्वधारण को संबंधित तिथि से 6 महीनों तक बंद किया जाएगा। भारत सरकार को आवंटित किए गए नए शेयरों को आवंटन की तिथि से 3 वर्षों के लिए बंद किया जाएगा और एलआईसीआई को आवंटित किए गए नये शेयर और/या इसके निधि को आवंटन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर बंद किया जाएगा ।

vi) प्रस्तावित किया गया विशेष संकल्प बैंक के निदेश मंडल को ऊपर उल्लिखित परिवर्तन को जारी एवं आवंटित करने के लिए प्राधिकृत करता है।

vii) निर्गम का उद्देश्य :

भारत सरकार ने अपने पत्र एफ.नं. 11/17/2013 बीओए दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के द्वारा इक्विटी शेयरों में अधिमान्य आधार पर भारत सरकार के पक्ष में 11 करोड़ तक के इक्विटी शेयर जारी करते हुए रु 275 करोड़ तक की राशि के 27500 सतत गैरसंचयी अधिमानी शेयरों (पीएनसीपीएस) तक के परिवर्तन को अनुमोदित किया है ।

एलआईसीआई ने अधिमान्य आधार पर बैंक के इक्विटी शेयरों रु 300 करोड़ तक की सदस्यता के लिए रुचि दिखाई है । बैंक ने एलआईसीआई और/या अन्य निधि को इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान करने हेतु भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से आग्रह किया है ।

एलआईसीआई और / या किसी भी फंड का आवंटन सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर ही किया जाएगा ।

जुटाई गई पूंजी का उपयोग बैंक की सामान्य इक्विटी और टीयर-I पूंजी को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाए ।

यह समग्र अधिमान्य मुद्दा भारत सरकार और / या भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी भी निधि के लिए जारी किया गया है ।

भारत सरकार को आवंटित किए जाने वाले शेयरों के निर्गम मूल्य विनियम 76 (1) के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे एवं एलआईसी को आवंटित किए जाने वाले शेयरों का निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियम 76 (4) के अनुसार किया जाएगा । 19 मई, 2014 को संगत तिथि मानते हुए, भारत सरकार और एलआईसी के लिए प्रति इकिवटी शेयर रु. 35.50 निर्धारित किया गया है।

viii) अधिमान्य निर्गम के पहले और बाद में शेयरधारिता का स्वरुप :

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले (प्रासंगिक तारीख तक)		निर्गम के बाद अनुमानित	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	आवंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
क.	प्रोमोटर की शेयरधारिता				
	प्रवर्तक				
	भारत सरकार	488169792	88.00	565569792	78.92
ख.	गैरप्रोमोटर की शेयरधारिता				
	एलआईसीआई	17221031	3.10	101728073	14.19
	अन्य	49357268	8. 90	49357268	6.89
	कुल योग	554748091	100.00	716655133	100.00

ix) अधिमान्य आधार पर आंवटित किए गए शेयरों के संबंध में भारत सरकार और एलआईसी के पूर्व और पश्चात निर्गम शेयरधारिता निम्नप्रकार की जाएगी:

	पूर्व अधिमानी		पश्चात अधिमानी	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता
भारत सरकार	488169792	87.998	565569792	78.92
एलआईसीआई	17221031	3.104	101728073	14.19

x) बैंक के इक्विटी शेयरों को अधिक से अधिक छह महीने के लिए सूचीबद्ध किया गया है और तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियम 2009 के विनियम 76 (3) और 78 (5) के प्रावधान लागू नहीं हैं ।

भारत सरकार को जारी और आवंटित किए गए सभी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी किए गए व्यापार अनुमोदन तिथि से एक वर्ष / तीन वर्षों की अवधि के लिए परिबंधित किया जाएगा । एलआईसी को जारी एवं आवंटित किए गए शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी किए गए व्यापार अनुमोदन तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिबंधित किया जाएगा ।

xi) भारत सरकार के समग्र पूर्वअधिमान्य धारिता को एक अवधि के लिए संगत तिथि से प्रारम्भ करते हुए स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी किए गए व्यापार अनुमोदन तिथि से छः महीनों की अवधि तक परिबंधित किया जाएगा। विनियमों के विनियम 78 (6) के अनुसार एलआईसी द्वारा धारित किए गए पूर्वनिर्गम शेयर छूट प्राप्त हैं और परिबंधित नहीं किए जा सकते ।

xii) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रमाणित करते हैं कि निर्गम इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है जिन्हें वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

xiii) भारत सरकार और एलआईसी द्वारा धारित किए गए सभी शेयर अमूर्तिकरण रुप में हैं और बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं के साथ किए गए सूचीबद्ध करार में निर्धारित इक्विटी शेयरों के निरंतर सूचीबद्धता के शर्तों का अनुपालन करता है ।

xiv) भारत सरकार ने विगत संगत तिथि से छः महीनों के भीतर बैंक के किसी भी इक्विटी शेयर को नहीं बेचा है । विनियम 72 (2) के अनुसरण में एलआईसी को एक बीमा कंपनी होने के नाते इस प्रावधान की प्रयोज्यता से छूट दी गई है ।

xv) जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं के साथ बैंक द्वारा निष्पादित किए गए सूचीबद्ध करार के खंड 23 में आवश्यक है और सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के अध्याय-VII के अनुसार बैंक अधिमान्य आधार पर भारत सरकार के इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम के लिए एक विशेष संकल्प के जरिए शेयरधारकों के अनुमोदन की मंजूरी चाहता है ।

xvi) बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार जहां ऐसा करना आवश्यक हो, इक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनः गणना, करने का वचन देता है ।

उक्त कारणों के लिए निर्गम के शर्तों को अंतिम रुप देने हेतु बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकधिकार प्रदान करने के लिए समर्थकारी संकल्पों को प्रस्तावित किया गया है । इस उद्देश्य के लिए बैंक को एक विशेष संकल्प के द्वारा शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है । अतः उक्त प्रस्ताव के लिए आपसे सहमति देने का अनुरोध है ।

निदेशक मंडल सूचना में उल्लिखित संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव देता है ।

बैंक का कोई भी निदेशक बैंक में उपर्युक्त संकल्प में दिलचस्प अथवा संपर्कित नहीं है ।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

ह/
विक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

दिनांक 19 मई, 2014, कोलकाता

[वार्षिक रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जा रही है ।]

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 48 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulation 2010, the Fifth Annual General Meeting of the shareholders of UNITED BANK OF INDIA will be held on Wednesday, June 18, 2014, at 10.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road, Kolkata - 700027 to transact the following business:-

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2014, the Reports of the Board of Directors on the workings and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

 "RESOLVED THAT, pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/ prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10 each not exceeding Rupees One Thousand Crore including premium which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs. 554.75 crore shall be within the total authorized capital of Rs.3000 crore of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

 "RESOLVED FURTHER THAT, such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, Qualified Institutional Placement (QIP) or such other issue which may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 **("ICDR Regulations")** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

 "RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, determined in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT, in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time, provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT, in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the **meaning** of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT, in case of QIP issue the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT, pursuant to the provision to Regulation 85(1) of the SEBI ICDR Regulations, the Bank be and is hereby authorised to offer shares at a discount of not more than 5% on the aforesaid floor price, in case of QIP issue."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT, the issue and allotment of new equity shares / preference shares/ securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT, the said new equity shares to be issued shall be subject to the United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010 as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT, such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/s to give effect to the aforesaid Resolutions."

3. To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED **THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) and Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2010 as amended from time to time (the Regulations) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot –

(a) Up to 8,45,07,042 (eight crore forty five lakhs seven thousand forty two) equity shares of Rs.10/- each to LIC of India and / any of their funds thereof at Rs. 35.50 per share including a premium of Rs. 25.50 as determined under Regulation 76(1) under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations aggregating to Rs. 299,99,99,991.00 (Rupees two hundred ninety nine crores ninety nine lakhs ninety nine thousand nine hundred and ninety one only) on preferential basis; and

(b) Up to 7,74,00,000 (seven crore seventy four lakhs) equity shares of Rs.10/- each at a conversion price of Rs. 35.50 including premium of Rs. 25.50 as determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to Rs. 274,77,00,000.00 (Rupees two hundred and seventy four crore seventy seven lakhs only) on preferential basis to Government of India by conversion of up to 27477 (twenty seven thousand four hundred seventy seven) Perpetual Non-cumulative Preferential Shares (PNCPS) of Rs.100,000/- (Rupees one lakh) out of the outstanding PNCPS as on date.

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Preferential Issue Price is May 19th 2014."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director/s or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors

Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary

Date : May 19th, 2014
Place : Kolkata

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

PURSUANT TO REGULATION 62 OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

IN TERMS OF REGULATION 62(II) OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, THE PROXY FORM IN ORDER TO BE EFFECTIVE MUST BE RECEIVED BY THE BANK AT ITS SHARE DEPARTMENT & INVESTORS GRIEVANCE CELL, AT HEAD OFFICE, 11, HEMANTA BASU SARANI, 4TH FLOOR, KOLKATA – 700 001 NOT LESS THAN **FOUR DAYS** BEFORE THE DATE OF THE MEETING I.E. ON OR BEFORE THE CLOSING BUSINESS HOURS OF **FRIDAY, JUNE 13th 2014.**

However a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

In case an instrument of proxy is granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

No person shall be appointed as a Proxy who is an employee or officer of United Bank of India.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

PURSUANT TO REGULATION 61 OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, A SHAREHOLDER, BEING THE CENTRAL GOVERNMENT OR A COMPANY, MAY BY A RESOLUTION, AS THE CASE MAY BE, AUTHORISE ANY OF ITS OFFICIALS OR ANY OTHER PERSON TO ACT AS ITS REPRESENTATIVE AT ANY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS AND THE PERSON SO AUTHORISED SHALL BE ENTITLED TO EXERCISE THE SAME POWERS ON BEHALF OF THE CENTRAL GOVERNMENT OR COMPANY WHICH HE/SHE REPRESENTS AS IF HE/SHE WERE AN INDIVIDUAL SHAREHOLDER OF THE BANK.

The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government or Company.

IN TERMS OF REGULATION 61(II) OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, NO PERSON SHALL ATTEND OR VOTE AT ANY MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF THE BANK AS THE DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE OF THE COMPANY UNLESS A COPY OF THE RESOLUTION APPOINTING HIM/HER AS THE DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE CERTIFIED TO BE A TRUE COPY BY THE CHAIRMAN OF THE MEETING AT WHICH IT WAS PASSED SHALL HAVE BEEN DEPOSITED TO THE BANK AT ITS SHARE DEPARTMENT & INVESTORS GRIEVANCE CELL, AT HEAD OFFICE, 11, HEMANTA BASU SARANI, 4TH FLOOR, KOLKATA – 700 001 NOT LESS THAN **FOUR DAYS** BEFORE THE DATE OF THE MEETING I.E. ON OR BEFORE THE CLOSING BUSINESS HOURS OF **FRIDAY, JUNE 13th 2014.**

3. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY-PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry-pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorised Representatives of shareholders should state on their attendance slip-cum-entry-pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the provisions of Regulation 12 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, the Register of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, June 11th, 2014 to Wednesday, June 18th, 2014 (both days inclusive)** in connection with the Annual General Meeting.

5. REQUESTS TO THE SHAREHOLDERS

5.1. Copies of Balance Sheet

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence the shareholders are requested to carry their copies of the Annual Report which are mailed to the Registered Addresses of the shareholders.

5.2. Dematerialization of Shares

Shareholders who are holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized.

5.3. Information on Accounts

Shareholders seeking information / clarification with regard to accounts are requested to write to the Banks at least four days prior to the Annual General Meeting so as to enable the Bank to keep the information ready.

5.4. Consolidation of Folios

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

5.5. Notifying Change of Address

Shareholders are requested to notify any change in their address or bank account details to –

a. Respective Depository Participants in respect of the shares held in electronic forms;

b. The Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. in respect of shares held in physical form at the following address –

Link Intime India Pvt. Ltd.
(Unit: United Bank of India),
59C, Chowringhee Road, 3rd Floor
Kolkata 700 020

5.6. Recording of Change of Status

Non Resident shareholders are requested to inform the Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. immediately upon change in –

a. their Residential Status on return to India for permanent settlement.

b. particulars of Bank Account in India with complete name, branch, account type, account no., MICR code, IFSC code, address of the Bank with PIN, if not submitted earlier.

5.7. The shareholders not encashed their dividend warrants or received dividend pertaining to the previous period, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent for issue of duplicate warrant.

6. COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM

Our Bank's shares had been allotted and are compulsorily traded on the Stock Exchanges in dematerialized form only.

The bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer Company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agent i.e. **M/s Link Intime India Pvt. Ltd.**

7. UNCLAIMED SHARES

The details of unclaimed shares are as under:

1. Shares outstanding/unclaimed as on April 01, 2013	7107
2. Shares transferred to Beneficiary till March 31, 2014	400
3. Shares outstanding/unclaimed as on March 31, 2014	6707

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares shall remain frozen till claimed by the rightful owner.

8. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank. Queries may be sent to –

Manager,
Share Department & Investors Grievance Cell,
United Bank of India,
Head Office,
11, Hementa Basu Sarani,
Kolkata 700001

or emailed to **investors@unitedbank.co.in**

9. Voting Rights

Pursuant to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all shareholders of the Bank.

10. E-Voting:

The Bank is pleased to provide E-voting facility as per Clause 35B of the Listing Agreement for the first time through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice of 5th Annual General Meeting of the Bank dated May 16, 2014. The Bank has appointed Mr. S. N. Ananthasubramanian, Practicing Company Secretary or failing him Ms. Malati Kumar, Practicing Company Secretary or failing her Ms. Aparna Gadgil, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on May 16, 2014.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

(A) In case of members receiving e-mail:

i) If you are holding shares in Demat form and had logged on to www.evotingindia.com and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used.

ii) Log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

iii) Click on "Shareholders" tab to cast your votes.

iv) Now, select the Electronic Voting Sequence Number - "**140520002**" along with "**UNITED BANK OF INDIA**" from the drop down menu and click on "SUBMIT"

v) Now, fill up the following details in the appropriate boxes:

	For Members holding shares in Demat Form	For Members holding shares in Physical Form
User ID	For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID For CDSL: 16 digits beneficiary ID	Folio Number registered with the Bank
PAN*	Enter your 10 digit alpha -numeric *PAN issued by Income Tax Department when prompted by the system while e-voting (applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)	
DOB#	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.	

* Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the default number: **UTBEV1234Z** in the PAN field.

In case the DOB is not recorded with the depository, please enter the value 16/05/2014 in the DOB column.

vi After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

vii) Members holding shares in physical form will then reach directly the EVSN selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character(@ # $ %& *). Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Kindly note that this changed password is to be also used by the Demat holders for voting for resolutions for the Bank or any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for e-voting through CDSL platform.

viii) Click on the relevant EVSN on which you choose to vote.

ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired The option "YES" implies that you assent to the Resolution and option "NO" implies that you dissent to the Resolution.

x) Click on the "Resolutions File Link" if you wish to view the entire Resolutions.

xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(B) In case of members receiving the physical copy of Notice of AGM [for members whose e-mail IDs are not registered with the company/ depository participant(s) or requesting physical copy]:

(C) Please follow all steps from sl. no. (ii) to sl. no. (xii) above, to cast vote.

(D) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to https://www.evotingindia.co.in and register themselves, link their account which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the vote.

(E) The voting period begins on 12.06.2014 at 10.00 AM and ends on 14.06.2014 at 1.45 PM. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 16.05.2014, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

(F) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

11. Poll at the Meeting

After all agenda items have been discussed, the Chairman will order Poll in respect of all the items. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizer to be appointed by the Bank for the purpose. After the conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed. The result of the Poll aggregated with the result of e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the Stock Exchanges within two days.

12. Explanatory Statement Setting Out Material Facts in respect of Item No. 2 and 3

a) The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.3000 Crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st March 2014 was Rs.554.75 Crore.

b) The Central Government infused an amount of Rs.700 Crore as capital in the month of December 2013 through Preferential Allotment of equity. Post-allotment the total paid-up equity capital of the Bank is Rs.554.75cr. with Government of India holding Rs.488.17cr constituting 87.998% of the total paid-up capital of the Bank.

c) In 2013-14, the Bank has reported -2.48% growth in advances, 10.79% growth in deposits and 5.36% growth in total business. Despite earning Operating Profits in all quarters, up to December 2013 the Bank had shown a net loss of Rs.1683cr. due to higher provisioning requirements. With robust recovery in NPA, the Bank registered Net profit of Rs. 469.37 cr. in the 4th quarter of 2013-14. Consequently the overall Capital Adequacy Ratio of the Bank has increased to 9.81% with Tier–I ratio at 6.54% under BASEL – III norms.

d) The Bank has adopted multipronged approach to address the issue which inter-alia include extensive recovery and reduction of NPA, strengthening monitoring, reorganizing its credit portfolio by getting rid of capital guzzlers, cost control at all levels etc.

e) Presently, the shareholding of Government of India in our Bank is 48.81 Crore constituting 87.998% of the total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2014 under Basel-III was as under.

Under Basel-III Norms

Particulars (As on 31.03.14	Amount Rs. in Crores	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	61007	
Tier-I Capital	3987	6.54%
Tier-II Capital	1994	3.27%
Total Capital	5981	9.81%

f) As on 31st March 2014, Capital of the Bank under Basel-II is at Rs.6882 cr and CRAR is @ 11.46% **(Tier 1 @ 7.26%)** under **Basel-II Norms.**

g) Under **Basel-III Norms**, Capital of the Bank is at Rs.5981 cr and CRAR is at 9.81%**(Tier 1 @ 6.54%** and **CET-1 6.54%)** as on **31.03.2014**.

h) The Bank is targeting to maintain CRAR at 10% (against minimum requirement of 9%) as on 31.03.2015.

i) As on 31.03.2015, the Bank's capital position is estimated at Rs.5380 cr. under BASEL-III norms (with internal generation) without **any further capital infusion during 2014-15.**

j) With the estimated business growth in 2014-15, the Bank requires capital of **Rs.6930cr.** i.e additional capital of Rs.1550 cr. to maintain **CRAR @ 10%** under Basel-III regulation.

k) This additional capital requirement can be met by a combination of internal generation, issuance of equity and BASEL III compliant debt instruments subject to RBI guidelines.

l) Minimum regulatory capital requirement under BASEL-III norms is 9%.

m) In order to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes the Bank proposes to raise funds by way of Follow-on Public Offer, Qualified Institutional Placement(s), Preferential Allotment including Preferential allotment of equity by conversion of PNCPS or such other suitable means, by issuance of equity shares of Rs.10/- each at such price as may be determined close to the issue.

a. In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutional Placements, it will be ensured that:

i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares proposed to be issued by way of Qualified Institutional Placement would, pursuant to Chapter VIII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009, as amended ("SEBI (ICDR) Regulations"), and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or duly authorised committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval in terms of Section 61of the Companies Act 2013 and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;

ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a ***later*** stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Bank's (Shares and Meetings) Regulations, 2010 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

iii. The issue and allotment of Securities shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and such Securities shall be fully paid up on its allotment, which shall be completed within 12 months of the date of passing this Resolution;

iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.

v. The total amount raised in such manner, including the overallotment option as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited balance sheet of the previous financial year;

vi. The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

b. In respect of the issue of equity shares by way of Preferential Allotment through conversion of PNCPS as indicated in agenda Item No. 4:

i) In addition to all other measures that the Bank has adopted, there is need felt to convert a part of the Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS) of Rs.800cr. issued by the Bank to Government of India into Equity Shares.

The PNCPS issued by the Bank are not conforming to the BASEL–III norms, consequently liable to be phased out over a period of 10 years. The conversion of PNCPS into equity is expected to help the Bank in achieving the pre-specified trigger of 5.5% common equity as on March 31, 2014 without any further capital infusion by the Promoters.

ii) The Preferential allotment shall be made in accordance with the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations.

iii) At present, Government of India holds 87.998% capital in the Bank, the Bank is entitled to allot upto 11 crore of equity shares to GOI so as not to breach the minimum public shareholding requirement under Securities Contract Regulation Act.

iv) At present LICI holds 17221031 or 3.10% of the total paid up capital of the Bank;

v) The entire pre-issue holdings of both Government of India and LICI shall be locked-in up to 6 months from Relevant Date. The fresh shares allotted to Government of India shall be locked-in for 3 years from the date of allotment and fresh shares allotted to LICI and/or its fund(s) shall be locked-in for 1 year from the date of allotment.

vi) The proposed Special Resolution will authroise the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned conversion, issuance and allotment.

vii) Objects of the issue:

GOI has vide their letter F.No.11/17/2013 – BOA dated April 30th 2014 approved the conversion of up to 27500 Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) aggregating up to Rs.275cr. into equity shares by issuance of up to 11 crore equity shares in favour of Government of India on Preferential basis.

LIC has shown interest to subscribe to the equity shares of the Bank on preferential basis upto Rs. 300 cr. The Bank has approached the Government of India and the Reserve Bank of India for necessary clearance for allotment of equity shares to LICI and/or any fund(s) thereof;

The allotment to LICI and/or any fund(s) thereof shall be done only on receipt of the necessary approvals from the Government and RBI.

The capital raised would be utilized for the purpose of shoring up of the Common Equity and Tier – I capital of the Bank.

This entire preferential issue is being issued to Government of India and/or Life Insurance Corporation of India or any fund(s) thereof.

The Issue Price on shares to be allotted to GOI shall be determined in accordance with Regulation 76 (1) and on shares to be allotted to LIC shall be determined in accordance with Regulation 76(4) of SEBI ICDR Regulations. Considering May 19th 2014 as the Relevant Date, the Issue Price including premium to GOI and LICI is fixed at Rs. 35.50 per equity share.

viii) **Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:**

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on Relevant Date)		After the issue Estimated	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares to be allotted	Percentage of shareholding
A.	**Promoter's Holding**				
	Promoters				
	Government of India	488169792	88.00	565569792	78.92
B.	**Non –Promoter Holding**				
	LICI	17221031	3.10	101728073	14.19
	Others	49357268	8 90	49357268	6.89
	Grand Total	554748091	**100.00**	**716655133**	**100.00**

ix) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India and LICI in respect of allotment of shares on preferential basis would be as under:

	Pre-Preferential		Post – Preferential	
	No. of Shares	Percentage	No. of shares	Percentage
Govt. of India	488169792	87.998	565569792	78.92
LICI	17221031	3.104	101728073	14.19

x) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations 2009 are not applicable.

All the shares to be issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of one year / three years from the date of trading approval issued by the stock exchanges. Shares issued and allotted to LIC shall be locked in for a period of one year from the date of trading approval issued by the stock exchanges.

xi) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval as granted by the stock exchanges. Pursuant to Regulation 78(6) of the Regulations, the pre-issue shares held by LIC are exempt and are not subjected to lock-in.

xii) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Annual General Meeting.

xiii) All the shares held by the Government of India and LIC are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

xiv) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date. Pursuant to Regulation 72(2) LIC being an insurance company is exempt from the applicability of this provision.

xv) As required in Clause 23 of the Listing Agreement executed by the Bank with the Stock Exchanges where the Bank's Equity Shares are listed and Chapter VII of SEBI ICDR Regulations, 2009, the Bank seeks the approval of the shareholders by way of a Special Resolution for the proposed issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

xvi) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.

For reasons aforesaid, the enabling resolutions are therefore recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s).

By order of the Board of Directors

Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary

Dated May 19th, 2014, Kolkata

[THE ANNUAL REPORT IS BEING SENT SEPARATELY]

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
आपका बैंक

United Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
The Bank that begins with U

Website : www.unitedbankofindia.com

उपस्थिति पर्ची

उपस्थिति द्वारा (कृपया सही में निशान लगाएं)
❑ सदस्य
❑ प्रतिनिधि
❑ प्राधिकृत प्रतिनिधि

मैं एतदद्वारा दिनांक 18 जून, 2014 को पूर्वाह्न 10.00 बजे, बुधवार को भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेड्रा रोड, कोलकाता-700 027 में आयोजित युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया की पांचवीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थित दर्ज करता हूं।

प्रतिनिधि का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	शेयरधारक के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

शेयरधारकों से निवेदन है कि वे वार्षिक आम बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लाएं।

प्रपत्र-बी

प्रॉक्सी प्रपत्र

कंपनी का नाम : **युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया**

प्रधान कार्यालय : 11, हेमन्त वोस रोड, कोलकाता-700 001

सदस्य(ओं) का नाम-

पंजीकृत पता :

ई-मेल आईडी :
फोलियो सं-क्लाइंट आईटी एवं डीपी आईडी

मैं/हम युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयर धारण करता हूं, एतद्वारा निम्नलिखित को नियुक्त करता हूं :

1. नाम
 पता :
 ई-मेल आईडी :
 हस्ताक्षर : की अनुपस्थित में
2. नाम
 पता :
 ई-मेल आईडी :
 हस्ताक्षर : की अनुपस्थित में

मेरे/हमारे प्रतिनिधि मेरी तरफ से 18 जून, 2014 को पूर्वाह्न 10.00 बजे, बुधवार को भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेड्रा रोड, कोलकाता-700 027 में आयोजित बैठक में वोट देने के लिए उपस्थित होंगे और उपर्युक्त संकल्प के अनुसार किसी प्रकार के स्थगन की स्थिति में निम्नलिखित माना जाएगा :

संकल्प सं.

1. ❑ खातों और रिपोर्ट का अंगीकरण
2. ❑ सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, क्यूआईपी आदि के रूप में रू.10/- प्रत्येक इक्विटी शेयर कुल रू. 1000 करोड़ के जारी और आवंटन करना
3. ❑ भारतीय जीवन बीमा एवं/और भारत सरकार को इक्विटी का अधिमान्य आवंटन करना

दिनांक 2014 को हस्ताक्षरित

रसीदी टिकट चिपकाएं

शेयरधारक का हस्ताक्षर

प्रतिनिधि धारक(कों) का हस्ताक्षर

इलैक्ट्रॉनिक मतदान ब्योरा

ईवीएसएन (ई वोटिंग सिक्वेंस नंबर)	यूजर आईडी	पासवर्ड पिन	पैन डिफल्ट नंबर

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
आपका बैंक

United Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
The Bank that begins with U

Website : www.unitedbankofindia.com

ATTENDENCE SLIP

Attendance by
(Please tick the appropriate box)
❑ Member
❑ Proxy
❑ Authorised Representative

I hereby record my presence at the 5th Annual General Meeting of United Bank of India being held on Wednesday, 18th June 2014 at 10.00 a.m. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road, Kolkata - 700 027.

Name of Proxy (in BLOCK LETTERS)	Shareholder's/Proxy's Signature

SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO BRING THEIR COPIES OF THE ANNUAL REPORT WITH THEM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

Form No. B
PROXY FORM

Name of the company : **UNITED BANK OF INDIA**
Head Office : 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001

Name of the Member(s) :

Registered address :

E-mail Id :
Folio No./ Client Id & DP ID :

I/We, being the Shareholder(s) of United Bank of India holdingshare(s), hereby appoint :

1. Name.....
 Address :
 E-mail Id :
 Signature :, or failing him

2. Name :
 Address :
 E-mail Id :
 Signature :, or failing him

as my / our proxy to attent and vote (on a poll) on my/our behalf at the 5th Annual General Meeting of United Bank of India, to be held on Wednesday 18th June 2014 at 10.00 a.m. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road, Kolkata - 700 027 and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below :

Resolutions Nos.
1. ☐ Adoption of Accounts and Reports
2. ☐ Issue and allotment of Equity Shares of Rs. 10/- each by way of Public Issue, Rights Issue, QIP etc. aggregating up to Rs. 1,000 crs.
3. ☐ Preferential allotment of Equity to LICI and/or Govt. of India.

Signed this day of 2014

Signature of shareholder

Signature of Proxy holder(s)

Affix Revenue Stamp

ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

EVSN (E-Voting Sequence Number)	USER ID	PASSWORD / PIN	PAN / DEFAULT NUMBER